न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, संत कबीर नगर।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1197/2026

(CNR NO– UPSK010029882026)

राजेश्वर पुत्र जंगी निवासी ग्राम जमुअरिआ खुर्द थाना मेहदावल जिला संत कबीर नगर।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

मु०अ०सं०–299/2026
धारा–109 (1),352,351(3) बी०एन०एस०
थाना–मेहदावल, जिला–संत कबीर नगर।

निस्तारण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र

आवेदक/अभियुक्त **राजेश्वर** द्वारा मु०अ०सं०–299/2026, धारा–109(1), 352, 351(3) बी०एन०एस० थाना–मेहदावल, जनपद संत कबीर नगर में यह अग्रिम जमानत हेतु प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निम्न आधारों पर दिया गया है कि प्रार्थी ने कोई अपराध नहीं किया। प्रार्थी के विरूद्ध पुरानी रंजिश को लेकर वादी मुकदमा ने मुकदमा दर्ज कराया है। प्रार्थी के द्वारा ग्राम सभा के किसी जमीन पर अवैध कब्जा नहीं किया है। प्रार्थी किसी के घर पर चढ़कर गाली गुप्ता नहीं दिया है, न ही किसी को जान से मारने का प्रयास किया है और न ही प्रार्थी घटनास्थल पर मौजूद था। प्रार्थी का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। वादी मुकदमा ने रंजिशन तथा कुछ स्थानीय लोगों के दबाव में प्रार्थी का नाम उपरोक्त मामले में दर्ज करा दिया है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उक्त आधारों पर अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्तगण द्वारा ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है जिसमें वादी मुकदमा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद P.I.L. संख्या 1675/2026 के आदेश की बात को लेकर इन लोगों के द्वारा जानबूझकर समय लगभग 6.30 बजे शाम वादी मुकदमा के घर पर चढ़कर मां–बहन की गाली देते हुये उसके भाई राम अजाद के ऊपर जान से मारने की नियत से जानलेवा हमला किये। वादी मुकदमा का भाई जान बचाने की कोशिश किया जिससे कंधे पर गम्भीर चोट आयी। आसपास के लोगों द्वारा द्वारा घटना की सूचना मिली घर जाने पर देखा तो उसका भाई घायल अवस्था में पड़ा था। भाई से जब उसने पूछा तो उसके भाई ने उसे बताया कि इस घटना में उसके गांव के ज्ञानदास पुत्र तीजू, राजेश्वर पुत्र जंगी, सूरज पुत्र तीजू उसको गिरा दिये तथा अभिषेक पुत्र सूरज चाकू से वार कर रहा था, जिससे उसे चोटे आयी थी तथा जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से कहा गया है कि वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्त को रंजिशन फंसाया गया है। अभियुक्त के द्वारा ग्राम सभा के किसी जमीन पर अवैध कब्जा नहीं किया गया है। अभियुक्त कथित घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। अभियुक्त का कोई आपराधिक

Digitally signed by Gajendra
Date: 2026.08.10 16:31:10 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

इतिहास नहीं है। उक्त आधार पर अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा किया गया है जिसके संबंध में वादी मुकदमा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दाखिल P.I.L. संख्या 1675/2026 दाखिल की गयी, जिससे चिढ़कर अभियुक्त व अन्य सहअभियुक्तों ने मिलकर वादी मुकदमा के घर पर चढ़ाई करके मां–बहन की भद्दी–भद्दी गालियां देते हुये वादी मुकदमा के भाई राम अजाद को जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला करके गंभीर चोटें कारित की गयी तथा जान से मारने की धमकी भी दी गयी। उक्त तथ्यों के आधार पर विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा पुलिस द्वारा प्रेषित आख्या, केस डायरी सहित पत्रावली का अवलोकन किया।

केस डायरी में संलग्न आघात आख्या के अनुसार चोटहिल राम आजाद को निम्न चोटें आयी हैं–

1. INCISED WOUND SIZE ABOUT 2.0X0.5X0.1 CM ON LEFT DELTOID REGION 4.0 CM BELOW LEFT SHOULDER JOINT, BLEEDING PRESENT.

2. INCISED WOUND SIZE ABOUT 2.0X1.0 X0.2 CM ON LEFT SIDE SCAPULA ABOUT 5.0 CM BELOW LEFT ACROMIAN, BLEEDING PRESENT.

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। आवेदक/अभियुक्त पर अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा के भाई राम अजाद को भद्दी भद्दी गालियां देने, जान से मारने की नियत से चाकू से हमला करके चोटें कारित करने व जान से मारने की धमकी दिये जाने का आरोप है। पत्रावली में वादी मुकदमा के भाई राम अजाद की आघात आख्या में उसको आयी चोटें **हार्ड व शार्प आब्जेक्ट** से आना अंकित है। प्रकरण में अभी विवेचना प्रचलित है। अतः केस डायरी पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप प्रथम दृष्टया आधारहीन प्रकृति के प्रतीत नहीं होते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था पी० चिदम्बरम बनाम प्रवर्तन निदेशालय क्रिम० अपील नम्बर 1340/2019 में पारित निर्णय/आदेश दिनांकित 05.09.2019 में कहा गया है कि अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र केवल उसी दशा में स्वीकार किया जाना चाहिए जहां अभियुक्त पर लगाये गये आरोप आधारहीन प्रकृति के हों।

प्रस्तुत प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए मामलें में गुण–दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना, अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **राजेश्वर** द्वारा मु०अ०सं०–299/2026, धारा– 109(1), 352, 351(3) बी०एन०एस०, थाना–मेहदावल, जिला–संत कबीर नगर में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की सूचना अविलम्ब सम्बन्धित मजिस्ट्रेट न्यायालय तथा थानाध्यक्ष को प्रेषित की जाए।

दिनांक–10.08.2026

(गजेन्द्र)
[J.O.Code–UP6291]
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
सन्त कबीर नगर।